हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की कार्य परिषद् की दिनांक 25/02/2019 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुये :

1.	**प्रो0 नरेन्द्र बहादुर सिंह** कुलपति, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	**प्रो0 विनय कुमार पाठक** कुलपति, ए0के0टी0यू0, कानपुर।	सदस्य
3.	**प्रो0 करूणाकर सिंह,** प्रतिकुलपति, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	सदस्य
4.	**प्रो0 राजीव त्रिपाठी** निदेशक, एम0एन0एन0आई0टी0, इलाहाबाद (शासन स्तर से नामित प्रौद्योगिकविद)	सदस्य
5.	**प्रो0 सुमित गांगुली** आई0आई0टी0 कानपुर। (निदेशक आई0आई0टी0, कानपुर के प्रतिनिधि)	सदस्य
6.	**प्रो0 अनुपम अग्रवाल,** इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी विभाग, आई0आई0आई0टी0 इलाहाबाद (निदेशक, आई0आई0आई0टी0 इलाहाबाद के प्रतिनिधि)	सदस्य
7.	**श्री एम0पी0 सिंह भदौरिया** उपनिदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर (सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि)	सदस्य
8.	**श्री एस0पी0 सिंह,** अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कानपुर मण्डल (प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	**श्री राजेश सिंह,** वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	विशेष आमंत्री
10.	**प्रो0 मनोज कुमार शुक्ला,** कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0 कानपुर	सचिव

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित नहीं हो सके:

1.	कुलपति, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी (डी0टी0यू0), दिल्ली – 110042 (अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि)	सदस्य
2.	प्रो0 मणीन्द्र अग्रवाल उपनिदेशक, आई0आई0टी0 कानपुर। (शासन स्तर से नामित प्रौद्योगिकविद)	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।	सदस्य

Scanned by CamScanner

परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष, कार्य परिषद् की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

4.01: हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की कार्य परिषद की दिनांक 29/12/2018 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

परिषद् ने विश्वविद्यालय की दिनांक 29/12/2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।

4.02: हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की कार्य परिषद की दिनांक 29/12/2018 को सम्पन्न तृतीय बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

परिषद् ने विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की दिनांक 29/12/2018 को सम्पन्न तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त करते हुये निम्न निदेश प्रदान कियेः

1. मद सं0 3.03 के अन्तर्गत लेखा रिकार्डस हेतु चार्टड एकाउन्टेन्ट की सर्विसेज हायर की जाय।
2. मद सं0 3.14 के अन्तर्गत गठित समिति 02 माह में Asset Management Company के सन्दर्भ में अपनी आख्या प्रस्तुत कर दे।
3. मद सं0 3.16 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय कुलगीत गायन कुलसचिव द्वारा सम्पन्न कराया जाय।
4. मद सं0 3.23 के अन्तर्गत कुलसचिव से अपेक्षा की कि विश्वविद्यालय मेडिकल आफीसर के आवेदकों को नियत वेतन रू0 60000/– से घटाकर रू0 50000/– किये जाने की सूचना से अवगत कराते हुये आगामी मार्च 2019 के प्रथम सप्ताह में मेडिकल आफीसर की तैनाती कर दी जाय।
5. मद सं0 3.24 के अन्तर्गत कुलसचिव से अपेक्षा की कि शासन स्तर से कार्यवाही का अनुरोध करने के साथ ही भूमि सम्बन्धी मामलों के जानकार अधिवक्ता/सेवानिवृत्त लेखपाल या तहसीलदार इत्यादि की सेवा प्राप्त कर प्रकरण में कार्यवाही सम्पन्न की जाय।
6. मद सं0 3.28 के अन्तर्गत कुलसचिव से अपेक्षा की कि जॉच कार्यवाही के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारी को आरोप पत्र का निर्गमन शासनादेशों में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत किया जाय।
   साथ ही परिषद् ने विश्वविद्यालय के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियॉ लम्बित हैं, उनके सम्बन्ध में निदेश दिये कि नियमानुसार सम्पूर्ण प्रशासनिक/विधिक कार्यवाही पश्चात् उनकी बहाली की जाय।

4.03: विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 21.02.2019 को सम्पन्न षष्ठम बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 21/02/2019 को सम्पन्न षष्ठम बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही परिषद् ने निदेश दिये कि वित्त नियंत्रक द्वारा विश्वविद्यालय व्यय के सापेक्ष समस्त शुल्क वृद्धि का परीक्षण कास्ट एकाउन्टेन्ट से भी करा लिया जाय।

4.04: विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति की दिनांक 19.02.2019 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की दिनांक 19/02/2019 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया।

Scanned by CamScanner

4.05: हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की दिनांक 21.01.2019 को सम्पन्न 10वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की दिनांक 21/01/2019 को सम्पन्न 10वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही निर्देश दिये कि आगामी शैक्षिक सत्र में समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग शिड्यूल शीघ्रातिशीघ्र जारी किया जाय।

4.06: विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों से शैक्षिक सत्र 2019–20 से शिक्षण एवं विभिन्न शुल्क आदि बढ़ाये जाने पर विचार।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2019–20 से नवप्रवेश लेने वाले छात्रों से लिये जाने वाले शिक्षण एवं विभिन्न शुल्क आदि को **प्रस्तावानुसार** (संलग्नक–1) बढ़ाते हुये लिये जाने के साथ ही प्राप्त शुल्क के व्यय/प्रयोग नीति पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

4.07: विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत एवं छात्रावासों में निवासरत छात्रों के छात्रावास शुल्क आदि बढ़ाये जाने पर विचार।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2019–20 से नवप्रवेश लेने वाले छात्रावासों में निवासरत छात्रों से लिये जाने वाले छात्रावास शुल्क एवं अन्य शुल्क को **प्रस्तावानुसार** (संलग्नक–2) बढ़ाते हुये लिये जाने के साथ ही प्राप्त शुल्क के व्यय/प्रयोग नीति पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

4.08: विश्वविद्यालय के पश्चिमी एवं पूर्वी प्रांगण में आवासित शिक्षको/अधिकारियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से वित्तीय वर्ष 2019–20 से भवन के किराये में वृद्धि जाने पर विचार।

परिषद् ने विश्वविद्यालय परिसर में निवासरत शिक्षकों/अधिकारियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से, वित्तीय वर्ष 2019–20 से भवन के किराये में **प्रस्तावानुसार** (संलग्नक–3) वृद्धि लिये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

4.09: विश्वविद्यालय के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में योजित वाद में विश्वविद्यालय की तरफ से प्रभावी पैरवी हेतु आबद्ध किये गये वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एल०पी० मिश्रा को शुल्क भुगतान के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में योजित वाद में विश्वविद्यालय की तरफ से प्रभावी पैरवी हेतु आबद्ध किये गये वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एल०पी० मिश्रा को प्रस्तावानुसार प्रति पेशी रू0 4,02,500/– का शुल्क भुगतान किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

4.10: श्री आर0सी0 अग्निहोत्री, फोरमैन गैस प्लान्ट (बर्खास्त) को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने श्री आर0सी0 अग्निहोत्री, फोरमैन गैस प्लान्ट (बर्खास्त) के प्रकरण में विधिक राय प्राप्त करते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु कुलपति/अध्यक्ष, कार्य परिषद् को अधिकृत किया।

Scanned by CamScanner

4.11: **विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों/विधाओं में स्ववित्तपोषित/सामान्य आधार पर प्रवेश क्षमता अभिवृद्धित करने एवं नये पाठ्यक्रमों हेतु आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, अन्य व्यवस्थाओं इत्यादि के सम्बन्ध में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) पर विचार।**

(क) परिषद् ने प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त विभिन्न पाठ्यक्रमों की विधाओं में नीचे दिये गये विवरणानुसार छात्र प्रवेश क्षमता अभिवृद्धित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया:

Expansion of Existing Programs/Induction of New Programs (W.E.F 2019-20)

School of	Department	Program	Existing Intake	Proposed Intake	Increased Intake
Engineering	Mechanical Engg.	B.Tech.	60	120	60
	Mechanical Engg.	M.Tech.	18	18	00
	Computer Sci. & Engg.	B.Tech.	60	120	60
	Information Tech.	B.Tech.	30	120	90
	M.C.A.	-	60	120	60
	Electronics Engg.	B.Tech.	45	120	75
	Electronics Engg.	M.Tech.	18	18	00
	Electrical Engg.	B.Tech.	33	120	87
	Civil Engg.	B.Tech.	30	120	90
	Civil Engg.	M.Tech.	18	18	00
Chemical Technology	Chemical Engg.	B.Tech.	50	120	70
	Chemical Engg.	M.Tech.	18	18	00
	Food Tech.	B.Tech.	30	45	15
	Food Tech.	M.Tech.	12	12	00
	Plastics Tech.	B.Tech.	30	45	15
	Plastic Tech.	M.Tech.	0	15	15
	Oil Tech.	B.Tech.	30	45	15
	Oil Tech.	M.Tech.	11	11	00
	Paint Tech.	B.Tech.	30	45	15
	Paint Tech.	M.Tech.	0	15	15
	Biochemical Engg.	B.Tech.	30	30	0
	Biochemical Engg.	M.Tech.	11	11	0
	Leather Tech.	B.Tech.	20	20	0
		Total =	644	1326	682

साथ ही यह भी निर्देश दिये कि उक्तानुरूप क्षमता वृद्धि के फलस्वरूप आने वाला व्यय, छात्रों से प्राप्त शुल्क में से 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय की बचत के रूप में सुनिश्चित करने के उपरान्त, अवशेष धनराशि से वहन किया जाय।

(ख) परिषद् ने उपरोक्त विवरणानुसार वर्तमान प्रवेश क्षमता एवं प्रस्तावित अभिवृद्धित प्रवेश क्षमता के सन्दर्भ में निदेश दिये कि अभातशिप के मानकानुसार शिक्षक छात्र अनुपात (1:20) के अनुरूप विभागवार विस्तृत प्रस्ताव परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(ग) परिषद् ने उपरोक्त विवरणानुसार प्रस्तावित अभिवृद्धित प्रवेश क्षमता के सन्दर्भ में यह भी निदेश दिये कि वांछित शिक्षणेत्तर कर्मियों की गणना सम्बन्धी प्रस्ताव भी परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

4.12: **विश्वविद्यालय में संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (डा0ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा पोषित) एवं रूसा (RUSA) परियोजना की प्रगति आख्या के सम्बन्ध में।**

परिषद् ने पं0 दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (डा0ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा पोषित) एवं रूसा (RUSA) परियोजना की प्रगति आख्या पर सन्तोष व्यक्त किया और निदेश दिये कि प्राप्त ग्रान्ट का समयबद्ध रूप से नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

Scanned by CamScanner

4.13: विश्वविद्यालय में संचालित भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित परियोजना TEQIP-III के सुचारू संचालन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णयों को परिषद के संज्ञान में लाये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित भारत सरकार की विश्व बैंक सहायतित परियोजना TEQIP-III के सुचारू संचालन हेतु कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा समय– समय पर लिए गए निर्णयों का संज्ञान लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया।

4.14: पुलवामा, जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सैनिकों हेतु सहायता के रूप में कतिपय नियमित कर्मियों को छोड़कर शेष द्वारा एक दिन का वेतन मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष में दिये जाने को संज्ञान में लिये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने पुलवामा, जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सैनिकों हेतु सहायता के रूप में कतिपय नियमित कर्मियों को छोड़कर शेष द्वारा एक दिन का वेतन मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष में दिये जाने को संज्ञान में लिया।

4.15: विश्वविद्यालय में संचालित बी0टेक0 पाठ्यक्रम में 20 प्रतिशत सीटें बिना आरक्षण के समस्त अभ्यर्थियों (अखिल भारतीय) से भरे जाने पर विचार।

परिषद् ने विश्वविद्यालय में संचालित वी0टेक0 पाठ्यक्रम में 20 प्रतिशत सीटें बिना आरक्षण के समस्त अभ्यर्थियों (अखिल भारतीय) से भरे जाने के सम्बन्ध में निदेश दिये कि प्रकरण में शासन से अनुदेश प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

4.16: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।

4.16.01 विश्वविद्यालय हेतु तैयार विजन एवं मिशन को परिषद् के संज्ञान में लाये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय विजन एवं मिशन पर निम्नवत् संज्ञान लेते हुये अनुमोदन प्रदान किया:

VISION:

"To achieve excellence in technical education, research and innovation"

Mission:

1. Imparting Knowledge to develop analytical ability in science and technology to serve the industry and society at large.

2. Equip and enable students and conceptual, technical and managerial skills to transform the organization and society.

3. Inculcating entrepreneurial philosophy and innovative thinking to promote research, consultancy and institutional social responsibility.

4. Serving people, society and nation with utmost professionalism, values and ethics to make development sustainable and quality of life.

4.16.02 प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 4216/सोलह–1–2018– 14(4)/2010 दिनांक 05/11/2018 को विश्वविद्यालय में प्रभावी करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 4216/सोलह–1–2018–14(4)/2010 दिनांक 05/11/2018 के अन्तर्गत वर्ष 2015 में सम्पन्न चयन/साक्षात्कार

Scanned by CamScanner

उपरान्त निर्गत आदेश सं0 242/डी0वी0/इन्ट/कैश/2015 दिनांक 30.09.15 द्वारा प्राप्त द्वितीय प्रोन्नत लाभ को 05 वर्ष के स्थान पर 04 वर्ष पर निम्न शिक्षक को निम्न विवरणानुसार प्रदान किये जाने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

Name and Deptt.	Date of Movement AGP 7000 to 8000
Dr. Deepesh Singh, Asstt. Prof., Civil Engg.	01/02/2012

4.16.03 विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री महेन्द्र कुमार कुरील, चौकीदार के दिनांक 30/11/2013 से 30/08/2019 तक सेवा से अनुपस्थित रहने के प्रकरण पर विचार।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री महेन्द्र कुरील के प्रस्तुत प्रकरण पर सम्यक चर्चा के उपरान्त निम्न निर्णय दिये:

(क) प्रकरण में समयान्तर्गत प्रशासनिक कार्यवाही अपेक्षित थी जो कि नहीं सम्पादित हुई है अतः जॉच की आवश्यकता नहीं है।

(ख) श्री महेन्द्र कुरील, चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कर्मी द्वारा विश्वविद्यालय सेवा से दिनांक 19/08/2013 से 20/11/2013 तक के आवेदित चिकित्सावकाश पर नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(ग) श्री महेन्द्र कुरील, चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कर्मी के विश्वविद्यालय सेवा से लगातार दिनांक 30/11/2013 से 30/08/2016 तक अनुपस्थित रहने को परिषद् ने अनुशासनहीनता का कदाचार माना और अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि दिनांक 30/11/2013 से 30/08/2016 तक का वेतन रहित अवकाश श्री महेन्द्र कुरील को स्वीकृत किया जाय एवं उक्त अवधि को सेवा में न जोड़ा जाय।

(घ) श्री महेन्द्र कुरील, चतुर्थ श्रेणी कर्मी को दिनांक 30/11/2013 से 30/08/2016 की अवधि के मध्य दिये गये ए0सी0पी0 लाभ के सम्बन्ध में शासनादेशों में दी गई व्यवस्थानुरुप कार्यवाही की जाय।

4.16.04 विश्वविद्यालय स्थित छात्रावासों एवं नवनिर्मित/निर्माणाधीन भवनों आदि का नामकरण भारत के महापुरुषों, वैज्ञानिकों, नदियों आदि पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय के छात्रावासों/निर्माणाधीन भवनों आदि का नामकरण के सम्बन्ध में निदेश दिये कि महापुरुषों, वैज्ञानिकों, नदियों आदि के नामों का पैनल छात्रों से लेते हुये नामकरण किया जाय, इस हेतु अध्यक्ष कार्यपरिषद्/कुलपति को अधिकृत किया।

4.16.05 विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्रय समिति की दिनांक 19/02/2019 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्रय समिति की दिनांक 19/02/2019 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त पर इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया कि भविष्य में उक्त को प्रत्येक स्थिति में विश्वविद्यालय वित्त समिति से अनुमोदित कराया जाय।

(प्रो0 मनोज कुमार शुक्ल)
सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
अध्यक्ष

Scanned by CamScanner